भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Government of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर – 188, उम्मेद हैरिटेज, रातानाड़ा, जोधपुर – 342011 (राजस्थान)
Jodhpur – 342011 (Rajasthan), फोन / Tel. : 0291-2510065, 2511165
ई–मेल : jodhpur@nhai.org, jodhpurpiu3@gmail.com

सत्यमेव जयते

क्र: 17006 / 1 / 2022 / JRR-I / वन विभाग–जोधपुर / 2399 दिनांक: 30-09-2022

प्रेषित

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए.
राजस्थान, जयपुर।

विषय : Diversion of 7.534 ha. Forest land in NHAI PIU jodhpur for the upgradation of Jodhpur ring road section – I, Dangiyawas 0+000) to Nagaur road (74.619) in Jodhpur District Rajasthan. Proposal No. FP/RJ/Road/32975/2018) – Ward level Committee, Sub Divisional Committee Proceeding as per the provisions of FRA, 2006 **उपलब्ध कराने बाबत।**

सन्दर्भ: उप महानिरीक्षक / क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के फाईल नम्बर 8B/RAJ/06/30/2018/FC दिनांक 31.08.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र (1) द्वारा लगाये गये आक्षेपो की अनुपालना निम्न प्रकार है।

S.No.	Observations	Compliance of observations
1.	In case of removal of encroachment state Govt. has replied "All encroachments has been removed except one due to stay order of Hon'ble High Court Rajasthan. The stay was granted on 20.03.20. The current status of the case shall be submitted by the state Govt.	All Encroachments except one has been removed due to Hon'ble High Court Rajasthan stay order in writ no. SBCW 3995/2020. The stay was granted by Hon'ble High Court on dated 20.03.2020. Till date the stay is not vacant.
2.	FRA Certificate issued by District Collector. In certificate's point no. (a) it is mentioned that "A copy of record all consolation and meeting of the FRA committees i.e. ward level committees, sub divisional committees are enclosed" but these proceedings are not submitted or uploaded. State Govt. is requested to submit /upload the complete documents regarding FRA, 2006.	7.534 हैक्ट. वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बंध में प्रस्ताव पर वार्ड लेवल समिति, सब डिविजनल समिति की रिपोर्ट को संलग्न का उल्लेख किया है। परन्तु वार्ड लेवल समिति, सब डिविजनल समिति कि बैठक की कार्यवाही का विवरण संलग्न नही किया है। जिसे ऑनलाईन पोर्टल पर आवश्यक दसतवेज सहित अपलोड करने हेतु लिखा है। पार्षद वार्ड संख्या 3, नगर निगम, जोधपुर के द्वारा दिनांक 05.09.2018 को ग्राम गेवा में 3.334 हैक्ट. वन भूमि के विपथन हेतु बैठक आहुत कि गई जिसकी बैठक कार्यवाही संलग्न है। पार्षद वार्ड संख्या 01, नगर निगम, जोधपुर के द्वारा दिनांक 04.09.2018 को ग्राम गेवा में 4.20 हैक्ट. वन भूमि के विपथन हेतु बैठक आहुत कि गई जिसकी बैठक कार्यवाही संलग्न है। 7.534 हैक्ट. भूमि सार्वजनिक हितार्थ / रिंग रोड़ निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान के अनुरूप हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित है। इस संम्बंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6(3) के प्रावधानो अनुसार गठित एवं प्रदत्त अधिकारों / कर्तव्यों के निवर्हन में नियम के नियम 6 एवं 14 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अन्तर्गत उपखण्ड स्तर की समिति की बैठक दिनांक 07.09.2018 को आयोजित की गई । उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उदेश्य तथा निहिताथों पर समिति में प्रकट तथा अप्रकट तौर पर विचार किया

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Government of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर – 188, उम्मेद हैरिटेज, रातानाड़ा,
जोधपुर – 342011 (राजस्थान)
Jodhpur – 342011 (Rajasthan), फोन / Tel. : 0291-2510065, 2511165
ई–मेल : jodhpur@nhai.org, jodhpurpiu3@gmail.com

सत्यमेव जयते

		गया। इसी क्रम में नियम 2008 के नियम 6 एवं 14 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अन्तर्गत जिला स्तर की समिति की बैठक दिनांक 12.09. 2018 एवं 14.09.2018 को आयोजित की गई। उपखण्ड स्तरीय बैठक का इस बैठक में विस्तार पूर्वक चर्चा कि गई। उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के संबंध में अनुसचित जाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार गैर वन उद्वेश्य के लिए जोधपुर वन प्रभाग के ग्राम गेंवा में 7.534 हैक्टर. वन विभाग की उक्त भूमि खसरा नम्बर 884, 867 एवं 858 का वर्तमान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति/ अन्य परम्पारागत वन निवासी द्वारा वर्तमान में खेती, आवास या अन्य किसी प्रकार की आजीविका के लिए उपयोग नही हो रहा है तथा ना ही किसी अनुसूचित जनजाति व आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त किये गये है। अतः सार्वजनिक/रिंग रोड़ प्रयोजनार्थ ग्राम गेंवा के उक्त खसरा नम्बर 884, 867 एवं 858 में से 7.534 हैक्ट. भूमि गैर वन उदद्वेश्य हेतु विपथन /प्रत्यावर्तन करने का प्रस्ताव समस्त समिति सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रकरण में 7.534 हैक्ट. वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव में अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करावे।

धन्यवाद।

भवदीय,

30/09/2022

(अजय बिश्नोई)
परियोजना निदेशक

संलग्नः उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि – मुख्य महाप्रबंधक (तकनीकी) एवं क्षेत्रीय अधिकारी, क्षैत्रीय कार्यालय, भाराराप्रा, जयपुर।

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर / Integrated Regional Office, Jaipur

ए 218 & बी 216 "अरण्य भवन", झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर - ३०२००४ / A-218& B-216, "ARANYA BHAWAN" ,Jhalana Institutional Area, Jaipur-302004
दूरभाष/Tel No: 0141-2713858, 2713786 Email: iro.jaipur-mefcc@gov.in

File No. 8 बी/राज/06/30/2018/FC

Date: 31st August, 2022

सेवामें,
शासन सचिव (वन)
सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन,
जयपुर, राजस्थान।

(Online Proposal No: FP/RJ/ROAD/32975/2018)

विषयः **Diversion of 7.534 ha. forest land in favour of NHAI PIU Jodhpur for the upgradation of Jodhpur ring road Section-I, Dangiyawas (0+000) to Nagour Road (74+619) of Jodhpur district of Rajasthan.**

सन्दर्भः शासन सचिव (वन), राजस्थान का पत्र क्रमांक P.1(67)Forest/2018 दिनांक 12.07.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रस्ताव पर इस कार्यालय के सैद्धांतिक अनुमोदन दिनांक 31.12.2018 का अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित कर केन्द्र सरकार की वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी गयी थी।

अनुपालन प्रतिवेदन के परिक्षणोपरांत यह पाया गया कि राज्य शासन द्वारा सम्पूर्ण जानकारी/ दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किये गये है। अतः राज्य शासन से अनुरोध है कि निम्नलिखित आवश्यक जानकारी इस कार्यालय को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करायेः

1. In case of removal of encroachment State Govt. has replied "All encroachments has been removed except one due to stay order of Hon'ble High Court Rajasthan. The stay was granted on 20/03/20. The current status of the case shall be submitted by the State Govt.
2. FRA Certificate issued by District Collector. In certificate's point no (a) it is mentioned that "A copy of record all consultation and meeting of the FRA committees i.e. ward level committees, sub divisional committees are enclosed " but these proceedings are not submitted or uploaded. State Govt. is requested to submit/ upload the complete documents regarding FRA, 2006.

इस संबंध में राज्य शासन से यह अनुरोध है कि उपरोक्त जानकारी को ऑनलाईन पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज सहित अपलोड करायें ताकि अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकें।

भवदीय,
31/08/2022

(श्रवण कुमार वर्मा)
उप महानिरीक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः (ई-मेल द्वारा)

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इंस्टिट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान।
2. उप वन संरक्षक, जोधपुर वनमण्डल, राजस्थान।

3. प्रबंधक (तकनीकी), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पीआईयू, 188 उमेद हैरिटेज, रातानाडा, जोधपुर, राजस्थान।
4. आदेश पत्रावली।

Ann-C

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, जोधपुर

–:बैठक कार्यवाही विवरण :–

ग्राम गेंवा तहसील व जिला जोधपुर के खसरा संख्या 884, 867 एंव 858 में से 7.534 हैक्टयर भूमि रिंग रोड़ निर्माण हेतु वनखण्ड की भूमि के बाबत् अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध में।

जिला स्तरीय बैठक

जोधपुर रिंग रोड़ निर्माण हेतु ग्राम गेंवा तहसील व जिला जोधपुर के खसरा संख्या 884, 867 एंव 858 के संबंध वार्ड संख्या 01 व 03 के उक्त प्रस्ताव के अनुसार वन विभाग की 7.534 हैक्टयर भूमि सार्वजनिक हितार्थ/रिंग रोड़ निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान के अनुरूप हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित है। इस सम्बंध में अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6(3) के प्रावधान अनुसार गठित एंव प्रदत्त अधिकारों/कर्तव्यो के निवर्हन में नियम 2008 के नियम 6 एंव 14 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अन्तर्गत जिला स्तर की समिति की बैठक दिनांक 12.09.2018 एंव 14.09.2018 को आयोजित की गई जिसमें निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1.	डॉ रवि कुमार सुरपुर (आई.ए.एस.)	जिला कलक्टर (अध्यक्ष)
2.	श्री अविचल चर्तुवेदी (आई.ए.एस.)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
3.	श्री अमराराम भील	जिला परिषद सदस्य
4.	श्री जेठाराम मेघवाल	जिला परिषद सदस्य
5.	श्री निशा विश्नोई	जिला परिषद सदस्य
6.	श्री नरेन्द्रसिंह शेखावत	उप वन संरक्षक, वन विभाग

उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 07.09.2018 एंव नगर निगम जोधपुर के वार्ड संख्या 01 व 03 दिनांक 04.09.2018 के प्रस्ताव में राजस्थान राज्य के जोधपुर रिंग रोड़ डांगियावास कि.मी. 0.000 से नागौर रोड़ कि.मी. 74.619 तक दो मौजूदा लेन के उन्नयन के लिए परियोजना कार्यान्वयन इकाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हेतु उपखण्ड स्तरीय बैठक का इस बैठक में विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा की गई। उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यो तथा निहिताथों पर समिति में प्रकट तथा अप्रकट तौर पर विचार किया गया। उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के संबंध में अनुसूचित जाति और अन्य परम्परांगत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार गैर वन उद्देश्य के लिए जोधपुर वन प्रभाग के गेंवा में 7.534 हैक्टयर वन विभाग की उक्त भूमि खसरा नं. 884, 867 एंव 858 का वर्तमान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति/अन्य परम्परागत वन निवासी द्वारा वर्तमान में खेती, आवास या अन्य किसी प्रकार की आजीविका के लिए उपयोग नहीं हो रहा है तथा ना ही किसी अनुसूचित जन जाति व आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त किये गये है। अतः सार्वजनिक /रिंग रोड़ प्रयोजनार्थ ग्राम गेंवा के उक्त खसरा नम्बर 884, 867 एंव 858 में से 7.534 हैक्टयर भूमि गैर वन उद्देश्य हेतु विपथन/प्रत्यावर्तन करने का प्रस्ताव समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।

डॉ रवि कुमार सुरपुर (आई.ए.एस.)
जिला कलक्टर
जोधपुर

श्री अविचल चर्तुवेदी (आई.ए.एस.)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, जोधपुर

14/9/18

श्री नरेन्द्रसिंह शेखावत
उप वन संरक्षक,
वन विभाग जोधपुर

श्री अमराराम भील
जिला परिषद सदस्य

श्री जेठाराम मेघवाल
जिला परिषद सदस्य

निशा बिश्नोई
जिला परिषद सदस्य

Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

Manager (Technical)
NHAI, PIU Jodhpur

Ann. A

Ann. A

जमाबन्दी (खेवट/खतौनी) (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- गेवा
पटवार हल्का :- गेवा
भू.अभि.नि.क्षेत्र :- जोधपुर
तहसील :- जोधपुर
जिला :- जोधपुर
काश्तकार का नाम/पिता का नाम
जाति निवास के पते सहित :-

सम्वत :- 2059 - 2062
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- बीघा-बिस्वा
खाता संख्या नया :- 360
खाता संख्या पुराना :- 323
वन विभाग जोधपुर
(महकमा जंगलात)

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
28/मनि0	4-08	बारानी IV	4-08	0.00		* नामा. स.: 833 - नि.दि.: 18/08/2010 - न्याया. आदेश	
29/मनि0	2	बारानी IV	2	0.00		न्यायालय आदेश होने पर------	
33/1/2	12	गै.मु.मगरा	12	0.00		वन विभाग जोधपुर (महकमा जंगलात) की भूमि के स्थान	
78	14-17	गै.मु.पहाड़	14-17	0.00		पर----------	
79/मनि1	9	गै.मु.मगरा	9	0.00		45 बोर्डर रोडस टास्क फोर्स	
80	14-08	गै.मु.नाडी	14-08	0.00		ख.स. 858मी., र. 2.00,	
81	602-03	गै.मु.पहाड़	602-03	0.00		ख.स. 867मी. ,र. 22.16,	
81/1	14-01	गै.मु.नाडी	14-01	0.00		ख.स. 884मी. ,र. 4.10,	
82	520	गै.मु.पहाड़	520	0.00		----------------------	
82/1	9-04	गै.मु.आबादी	9-04	0.00		3, 29.06 ,-.-	
82/2	2-10	गै.मु.नाडी	2-10	0.00		= 4.74 Ha	
83	333-19	गै.मु.पहाड़	333-19	0.00			
83/1	0-08	गै.मु.नाडी	0-08	0.00			
84	171-16	गै.मु.पहाड़	171-16	0.00			
84/1	18	गै.मु.नाडी	18	0.00			
697	2-03	गै.मु.मगरा	2-03	0.00			
698	5-04	बारानी IV	5-04	0.00			
698/1	2	बारानी IV	2	0.00			
698/2	0-02	गै.मु.नहर	0-02	0.00			
699/1	0-03	गै.मु.पहाड़	0-03	0.00			
699/2	0-07	गै.मु.नहर	0-07	0.00			
714	46-05	गै.मु.पहाड़	46-05	0.00			
714/1	3-09	गै.मु.नहर	3-09	0.00			
715	3-13	बारानी IV	3-13	0.00			
715/1	0-02	गै.मु.नहर	0-02	0.00			
715/2	0-10	गै.मु.नहर	0-10	0.00			
715/3	1-15	बारानी IV	1-15	0.00			
781/2	404	गै.मु.पहाड़	404	0.00			
811	751	गै.मु.पहाड़	751	0.00			

Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

Manager (Technical)
NHAI, PIU Jodhpur

[illegible]	[illegible]	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	[illegible] में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
814	722-07	गे.मु.पहाड़	722-07	0.00			
816	0-18	गे.मु.पहाड़	0-18	0.00			
817	5-15	गै.मु.मगरा	5-15	0.00			
819	1165-03	गे.मु.पहाड़	1165-03	0.00			
820	168-07	गे.मु.आबादी	168-07	0.00			
821	359-01	गे.मु.पहाड़	359-01	0.00			
823	70-11	गे.मु.पहाड़	70-11	0.00			
825	15	गे.मु.पहाड़	15	0.00			
826	5	गे.मु.नाडी	5	0.00			
827	105-05	गे.मु.पहाड़	105-05	0.00			
829	3-01	गै.मु. बन्धा	3-01	0.00			
830	5-18	गे.मु.पहाड़	5-18	0.00			
832	13-12	गै.मु.मगरा	13-12	0.00			
834	53-08	गै.मु.मगरा	53-08	0.00			
835	11-10	गे.मु.नाडी	11-10	0.00			
836	1-18	गे.मु.आबादी	1-18	0.00			
837	107-11	गै.मु.मगरा	107-11	0.00			
838	1223-03	गे.मु.पहाड़	1223-03	0.00			
839	2210	गे.मु.पहाड़	2210	0.00			
840	14-03	गे.मु.पहाड़	14-03	0.00			
841	33-16	गे.मु.पहाड़	33-16	0.00			
843	157-17	गे.मु.पहाड़	157-17	0.00			
844	3-04	गै.मु.मगरा	3-04	0.00			
845	0-12	गै.मु.मगरा	0-12	0.00			
846	4-13	गै.मु. बन्धा	4-13	0.00			
847	1-07	गे.मु.रास्ता	1-07	0.00			
848	5-11	गे.मु.आबादी	5-11	0.00			
849	4-17	गे.मु.नाडी	4-17	0.00			
850	3-01	गे.मु.आबादी	3-01	0.00			
851	12-03	गे.मु.नाडी	12-03	0.00			
853	538-05	गे.मु.पहाड़	538-05	0.00			
855	2-08	बारानी IV	2-08	0.00			
855/1	0-05	गै.मु.बावडी	0-05	0.00			
856	1-18	गे.मु.आबादी	1-18	0.00			
858	1684-11	गे.मु.पहाड़	1684-11	0.00			
867	1645-15	गे.मु.पहाड़	1645-15	0.00			
882/2/1	27-03	गै.मु.दरड़ा	27-03	0.00			
884	494-18	गे.मु.पहाड़	494-18	0.00			
885	553-16	गे.मु.पहाड़	553-16	0.00			
886	881-17	गे.मु.पहाड़	881-17	0.00			
969	233	गे.मु.पहाड़	233	0.00			

Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

Manager (Technical)
NHAI, PIU Jodhpur

खसरा संख्या	[illegible]	भूमि वर्गीकरण	[illegible]	सिंचाई के साधन	[illegible]	[illegible]
976	58-12	[illegible]	[illegible]			
कुल 71	6309.08		10200-08 0.00			

खसरे -

- वर्तनी शुद्धि हेतु उक्त नामान्तरण जांच प्रक्रिया में है।

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

प्रतिलिपि जारी करने की तिथि :- 13/07/2018

नामान्तरकरण अद्यतन दिनॉक:- 13/07/2017

NIC

Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

Annexure-B

S. No.	Name of District	Name of Taluka	Name of Village	Design Chainage		Length in km	Proposed ROW in mtr	LHS/RHS	Survey No.	Type of Land	Nature of Land	Required Area in (Sqm)
				From	To							
1				36+600	37+172	0.572	60	RHS	884	Govt	Forest	9414.0613
2				36+610	37+000	0.390	60	LHS	884	Govt	Forest	7752.7206
3				37+820	37+900	0.080	60	RHS	884	Govt	Forest	1339.4331
4				37+900	38+910	1.010	60	RHS	867	Govt	Forest	17035.343
5				38+000	38+800	0.800	60	LHS	867	Govt	Forest	9565.1898
6	Jodhpur	Jodhpur	Gewa	39+160	39+772	0.612	60	RHS	867	Govt	Forest	10422.396
7				39+180	39+585	0.405	60	LHS	867	Govt	Forest	5435.3363
8				39+930	40+020	0.090	60	RHS	867	Govt	Forest	1428.9742
9				39+900	40+020	0.120	60	LHS	867	Govt	Forest	1500.4778
10				40+020	40+310	0.290	60	RHS	858	Govt	Forest	6775.8373
11				40+020	40+255	0.235	60	LHS	858	Govt	Forest	4670.2308
											Total Required Land=	**75340.00**

= 75340 sqm
= 7.534 Ha

Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

Manager (Technical)
NHAI, PIU Jodhpur

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, जोधपुर

रिंग रोड के निर्माण हेतु वन विभाग की भूमि का एफआरए प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में बैठक उपस्थिति

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पद	विभाग का नाम	मोबाईल नं.	हस्ताक्षर
1	डॉ रवि कुमार सुरपुर	जिला कलक्टर	राजस्व		
2	श्री अविचल चर्तुवेदी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	पंचायतीराज	9660294100	(signature)
3	श्री नरेन्द्रसिंह शेखावत	उप वन संरक्षक	वन विभाग	9414287551	(signature) 14/9/18
4	श्री अमराराम भील	जिला परिषद सदस्य	जिला परिषद	9784574411	(signature)
5	श्री जेठाराम मेघवाल	जिला परिषद सदस्य	जिला परिषद	7023890282	(signature)
6	श्रीमती निशा बिश्नोई	जिला परिषद सदस्य	जिला परिषद	~~[illegible]~~ 9414272557	(signature)

Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

Manager (Technical)
NHAI, PIU Jodhpur

राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर

—:: बैठक कार्यवाही विवरण::—

ग्राम गेंवा तहसील व जिला जोधपुर के खसरा संख्या 884, 867, एवं 858 में से 4.74 एवं 7.534 हैक्टेयर भूमि रिंग रोड़ निर्माण हेतु वनखण्ड की भूमि के बाबत् अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने के सम्बंधं में उपखण्ड स्तरीय बैठक

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय के पत्रांकः राजस्व/एफआरए प्र.प./2018/3494 एवं 3491 दिनांक 30.08.2018 में दिये गये निर्देशानुसार रिंग रोड़ निर्माण हेतु ग्राम गेंवा तहसील व जिला जोधपुर के खसरा संख्या 884, 867 एवं 858 के संबधं वार्ड संख्या 01 व 03 के उक्त प्रस्ताव के अनुसार वन विभाग की 4.74 एवं 7.534 हैक्टर भूमि सार्वजनिक हितार्थ/रिंग रोड़ निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान के अनुरूप हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित है। इस सम्बंधं में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6(3) के प्रावधान अनुसार गठित एवं प्रदत्त अधिकारों/कर्तव्यों के निवर्हन में नियम 2008 के नियम 6 एवं 14 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अन्तर्गत उपखण्ड स्तर की समिति की बैठक दिनांक 07.09.2018 को आयोजित की गई जिसमें निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्रीमती सुमित्रा पारीक **(आर.ए.एस.)**	उपखण्ड अधिकारी जोधपुर
2. श्रीमती सुमन राठौड	उपायुक्त(सूरसागर) न.नि.जो.
3. श्री भीकाराम पूनिया	सहायक वन सरंक्षण, वन विभाग, जोधपुर।
4. श्री श्रवणसिंह राठौड़	तहसीलदार जोधपुर।
5. श्री......s/o [illegible]	अनुसूचित जाति सदस्य वार्ड सं..01.
6. श्री......S/o [illegible]	अनुसूचित जनजाति सदस्य वार्ड सं...01...

नगर निगम जोधपुर के वार्ड संख्या 01 व 03 दिनांक 04.09.2018 के प्रस्ताव में राजस्थान राज्य के जोधपुर रिंग रोड़ डांगियावास कि.मी. 0.000 से नागौर रोड़ कि.मी. 74.619 तक दो मौजूदा के उन्नयन के लिए परियोजना कार्यन्वयन ईकाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हेतु वार्ड स्तरीय बैठक का इस बैठक में विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा की गई। उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्वेश्यों तथा निहिताथों पर समिति में प्रकट तथा अप्रकट तौर पर विचार किया गया। उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंधं में अनुसचित जाति और अन्य

Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

Manager (Technical)
NHAI, PIU Jodhpur

राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर

रिंग रोड़ के निर्माण हेतु वन विभाग की भूमि का एफआरए प्रमाण–पत्र जारी करने के सम्बंधं में बैठक उपस्थिति

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पद	विभाग का नाम	मोबाईलनं.	हस्ताक्षर
1.	श्रीमती सुमित्रा पारीक	उपखण्ड अधिकारी जोधपुर	राजस्व	9828483222	
2.	श्रीमती सुमन राठौड़	उपायुक्त(सूरसागर) नगर निगम जोध.	नगर निगम जोधपुर	9784000563	
3.	श्री भाकाराम खनिया	सहायक वन संरक्षक, जोधपुर	वन विभाग	9460216520	
4.	श्री सवणसिंह राठौड़	तहसीलदार जोधपुर	राजस्व विभाग		
5.	लक्ष्मी	पटवारी गेवां	राजस्व विभाग	9530318807	
6.	मुकेश	वार्ड सदस्य		982929[illegible]	मुकेश
7.	धर्मेन्द्र	वार्ड सदस्य		9799039447	धर्मेन्द्र
8.					
9.					
10.					

Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

परम्परागत वनवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार गैर वन उद्धेश्य के लिए जोधपुर वन प्रभाग के ग्राम गेंवा में 4.74 हैक्टैयर एवं 7.534 हैक्टेयर वन विभाग की उक्त भूमि खसरा नं. 884, 867 एवं 858 का वर्तमान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति/अन्य परम्पारागत वन निवासी द्वारा वर्तमान में खेती, आवास या अन्य किसी प्रकार की आजीविका के लिए उपयोग नहीं हो रहा है तथा ना ही किसी अनुसूचित जन जाति व आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त किये गये है। अतः सार्वजनिक/रिंग रोड़ प्रयोजनार्थ ग्राम गेंवा के उक्त खसरा नम्बर 884, 867 एवं 858 में से 4.74 एवं 7.534 हैक्टेयर भूमि गैर वन उद्ददेश्य हेतु विपथन/प्रत्यावर्तन करने का प्रस्ताव समस्त समिति सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।

(श्रीमती सुमित्रा पारीक) उपखण्ड अधिकारी जोधपुर	(श्रीमती सुमन राठौड़) उपायुक्त(सूरसागर) नगर निगम जोधपुर।	(श्रवणसिंह राठौड़) तहसीलदार जोधपुर
(श्री भीकाराम पूनिया) सहायक वन संरक्षक जोधपुर।	(श्री.................) सदस्य अनुसूचित जाति वार्ड सं. 01. न.नि.जोधपुर	(श्री.................) सदस्य अनु0 जन जाति वार्ड सं. 01 न.नि.जोधपुर

क्रमांक :– राजस्व/बैठक/2018/ दिनांक :– सितम्बर, 2018

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय को मूल ही बैठक कार्यवाही विवरण मय उपस्थिति अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी,
जोधपुर

Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

Manager (Technical)
NHAI ... Jodhpur

कार्यालय पार्षद वार्ड नं. 1
नगर निगम जोधपुर

ांक

दिनांक: 05 सितम्बर 2018

ति:

खण्ड अधिकारी
धपुर

षय: रिंग रोड़ निर्माण हेतु तहसील जोधपुर ग्राम गेंवा के खसरा नम्बर 867 एवं 858 में से 4.20 हैक्टयर वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने बाबत्।

संग: आपका पत्र क्रमांक राजस्व/2018/228 दिनांक 31.08.2018

होदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि जोधपुर रिंग रोड़ के चौड़ीकरण एंव उन्नयन के लिए वन भूमि के विपथन से पहले वनाधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के प्रमाण पत्र की आवश्यकता के अनुरूप आप के प्रासंगिक पत्र के आलोक में वार्ड स्तरीय बैठक आयोजित करवाकर प्रस्ताव पारित किया गया जो कि संलग्न है।

भवदीय,

(मेघराज भाटी)
पार्षद वार्ड नं. 1
नगर निगम जोधपुर

Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

Manager (Technical)
NHAI, PIU Jodhpur

वार्ड स्तरीय अनुज्ञा

ई नं. – पार्षद वार्ड नं. 1, नगर निगम जोधपुर
दिनांक – 04 सितम्बर 2018

राजस्थान राज्य के जोधपुर रिंग रोड़ डांगियावास कि.मी. 0.000 से नागौर रोड़ कि.मी. 75.000 तक दो लेन के मौजूदा रास्ते के उन्नयन के लिए परियोजना कार्यान्वयन इकाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा आयोजित की गई वार्ड स्तरीय बैठक पार्षद वार्ड नं. 1 श्रीमान् मेघराज भाटी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में निम्न बिन्दुओं पर सहमति की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये जोधपुर वन प्रभाग के गेंवा गांव में 4.20 हैक्टयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव पकाई, भाराराप्रा जोधपुर द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन अर्थात् डांगियावास कि.मी. 0.000 से नागौर रोड़ कि.मी. 75.000 तक रिंग रोड़ के दो/चार लेन के निर्माण/चौड़ा करने पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहिताथों पर गांव समिति में प्रकट तथा अप्रकट तौर पर मंथन किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के संबंध में, "अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परांगत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006" के सभी खंडो पर बैठक में मंथन किया गया। विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि के चौडीकरण तथा राष्ट्रीय राजमार्ग मानक के मौजूदा सड़क के विकास के लिये है तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नही कर रहा है, तथा किसी अनुसूचित जन जाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्गित वन अधिकार प्रदत नही किया गया है।

इसलिये गैर–वन उद्देश्य अर्थात जोधपुर रिंग रोड़ के निर्माण के लिये जोधपुर वन प्रभाग के गेंवा गांव में 4.20 हैक्टयर वन भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

पार्षद वार्ड नं. 1 के पार्षद की अनुशंषा पर हस्ताक्षर किये गये

मेघाराम
मेघाराम
पार्षद वार्ड नं.-1
नगर निगम, जोधपुर

मेयर
नगर निगम, जोधपुर

Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

Manager (Technical)
NHAI, PIU Jodhpur

Annexure-I

Khasra Wise forest details for Jodhpur Ring Road Section-I

S. No.	Name of District	Name of Taluka	Name of Village	Khasra No.	Nature of Land	Required Area (sqm)	Required Area (Ha.)
1	Jodhpur	Jodhpur	Gewa	867	Forest	30576	3.056
2				858	Forest	11446.1	1.144
	Total land required					75340.1	4.20

मेघाराम

मेघाराम
पार्षद वार्ड नं.- 1
नगर निगम, जोधपुर

पार्षद वार्ड नं. 1 की अनुशंसा पर प्रतिहस्ताक्षर किये गये |

नगर निगम, जोधपुर

Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

Manager (Technical)
NHAI,

WARD NO. 1

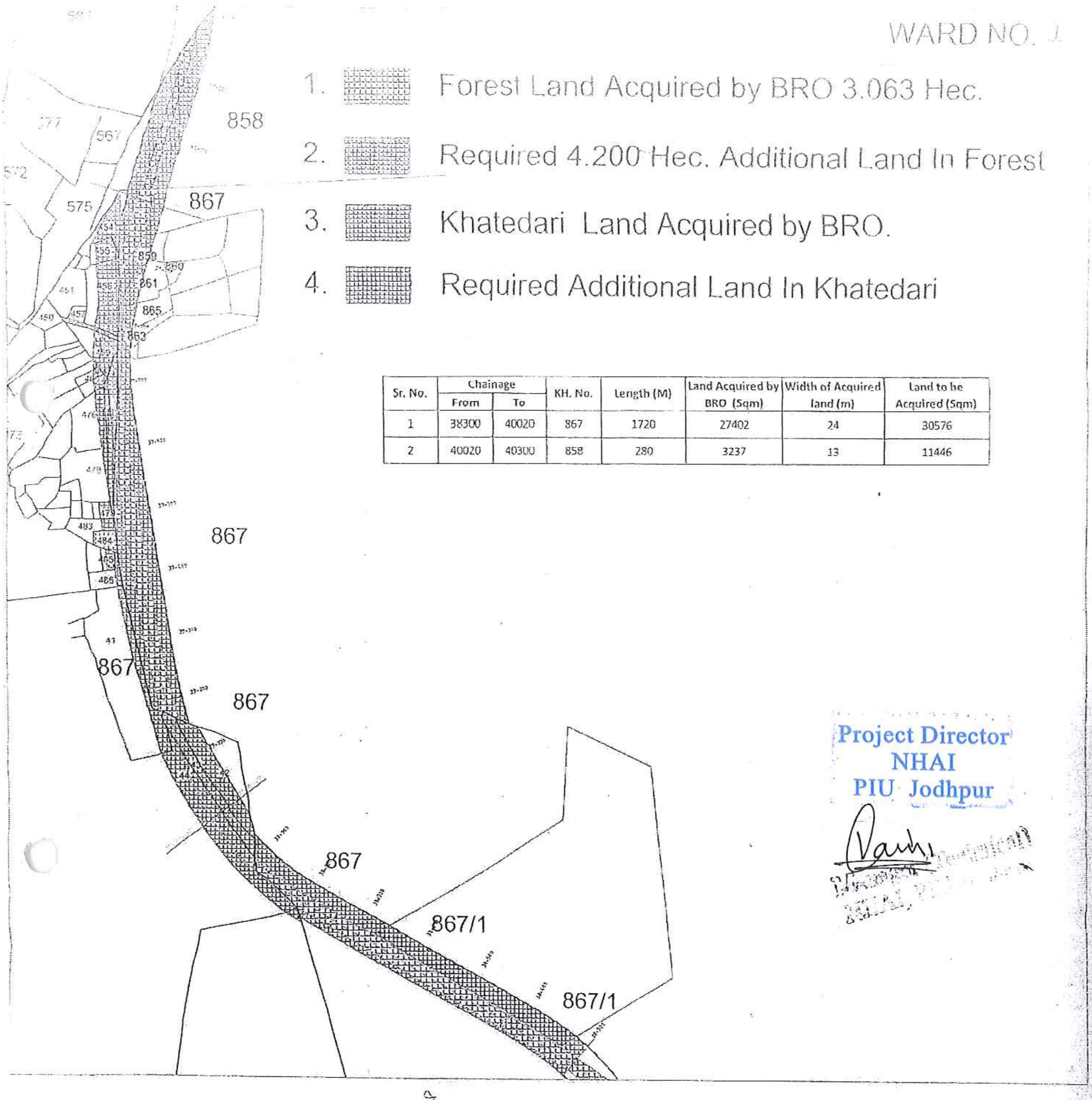

1. Forest Land Acquired by BRO 3.063 Hec.
2. Required 4.200 Hec. Additional Land In Forest
3. Khatedari Land Acquired by BRO.
4. Required Additional Land In Khatedari

Sr. No.	Chainage		KH. No.	Length (M)	Land Acquired by BRO (Sqm)	Width of Acquired land (m)	Land to be Acquired (Sqm)
	From	To					
1	38300	40020	867	1720	27402	24	30576
2	40020	40300	858	280	3237	13	11446

Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

मेघाराम
पार्षद वार्ड नं.-1
नगर निगम, जोधपुर

कार्यालय पार्षद वार्ड नं. 3
नगर निगम जोधपुर

क्रमांक

दिनांक:05 सितम्बर 2018

प्रेषित:—

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर

विषय: रिंग रोड़ निर्माण हेतु तहसील जोधपुर ग्राम गेंवा के खसरा नम्बर 884 व 867 में से 3.332 हैक्टयर वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमांण—पत्र जारी करने बाबत्।

प्रसंग: आपका पत्र क्रमांक राजस्व / 2018 / 229 दिनांक 31.08.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि जोधपुर रिंग रोड़ के चौड़ीकरण एंव उन्नयन के लिए वन भूमि के विपथन से पहले वनाधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के प्रमाण पत्र की आवश्यकता के अनुरूप आप के प्रासंगिक पत्र के आलोक में वार्ड स्तरीय बैठक आयोजित करवाकर प्रस्ताव पारित किया गया जो कि संलग्न है।

भवदीय,
(सीमा माथुर)
पार्षद वार्ड नं. 3
नगर निगम जोधपुर

Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

Manager (Technical)
NHAI, PIU Jodhpur

वार्ड स्तरीय अनुज्ञा

वार्ड न. – पार्षद वार्ड नं. 3, नगर निगम जोधपुर
दिनांक – 05 सितम्बर 2018

राजस्थान राज्य के जोधपुर रिंग रोड़ डांगियावास कि.मी. 0.000 से नागौर रोड़ कि.मी. 75.000 तक दो लेन के मौजूदा रास्ते के उन्नयन के लिए परियोजना कार्यान्वियन इकाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा आयोजित की गई वार्ड स्तरीय बैठक पार्षद वार्ड नं. 3 श्रीमती सीमा माथुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में निम्न बिन्दुओं पर सहमति की गई।

4. गैर वन उद्देश्य के लिये जोधपुर वन प्रभाग के गेंवा गांव में 3.332 हैक्टयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव पकाई, भाराराप्रा जोधपुर द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन अर्थात् डांगियावास कि.मी. 0.000 से नागौर रोड़ कि.मी. 75.000 तक रिंग रोड़ के दो/चार लेन के निर्माण/चौड़ा करने पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
5. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थो पर गांव समिति में प्रकट तथा अप्रकट तौर पर मंथन किया गया।
6. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के संबंध में, "अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परांगत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006" के सभी खंडो पर बैठक में मंथन किया गया। विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि के चौडीकरण तथा राष्ट्रीय राजमार्ग मानक के मौजूदा सड़क के विकास के लिये है तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नही कर रहा है, तथा किसी अनुसूचित जन जाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्गित वन अधिकार प्रदत नही किया गया है।

इसलिये गैर–वन उद्देश्य अर्थात जोधपुर रिंग रोड़ के निर्माण के लिये जोधपुर वन प्रभाग के गेंवा गांव में 3.332 हैक्टयर वन भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

सीमा माथुर
पार्षद, वार्ड संख्या – 3
नगर निगम जोधपुर

वार्ड नं. 3 की पार्षद की अनुपस्थिति पर प्रतिहस्ताक्षर किये गये।

मेयर
नगर निगम, जोधपुर

Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

Manager (Technical)
NHAI, PIU Jodhpur

Annexure-I

Khasra Wise forest details for Jodhpur Ring Road Section-I

S. No.	Name of District	Name of Taluka	Name of Village	Khasra No.	Nature of Land	Required Area (sqm)	Required Area (Ha.)
1	Jodhpur	Jodhpur	Gewa	884	Forest	18506.2	1.851
2				867	Forest	14810	1.481
	Total land required					33316.2	3.332

पार्षद वार्ड नं 3 की अनुशंषा पर प्रतिहस्ताक्षर किये गये

नगर निगम, जोधपुर

सीमा माथुर
पार्षद, वार्ड संख्या - 3
नगर निगम जोधपुर

Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

(Technical)
NHAI, PIU Jodhpur

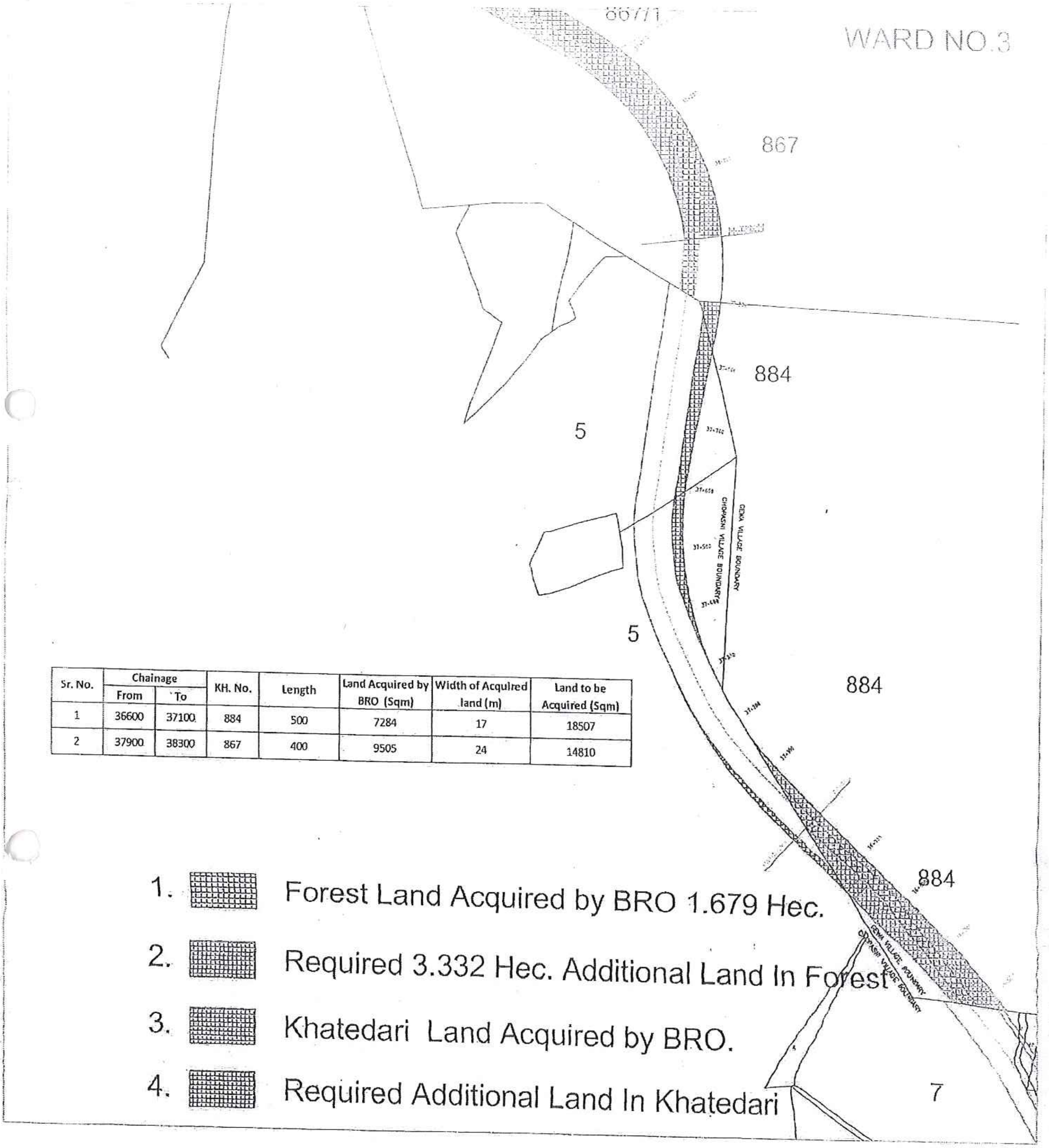

Sr. No.	Chainage		KH. No.	Length	Land Acquired by BRO (Sqm)	Width of Acquired land (m)	Land to be Acquired (Sqm)
	From	To					
1	36600	37100	884	500	7284	17	18507
2	37900	38300	867	400	9505	24	14810

1. Forest Land Acquired by BRO 1.679 Hec.
2. Required 3.332 Hec. Additional Land In Forest
3. Khatedari Land Acquired by BRO.
4. Required Additional Land In Khatedari

Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

Manager (Technical)
NHAI, PIU Jodhpur

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर जोधपुर

क्रमांक प 12( )राज / हस्ता / जेडीए / 2018 / 4120 दिनाक 30 / 11 / 2018

आदेश

तहसीलदार जोधपुर ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ / 2018 / 4751 दिनाक 15.10.2018 द्वारा निवेदन किया कि उनके प्रस्ताव पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक राजस्व / जेडीए / 2018 / 1589–94 दिनाक 03.05.2018 द्वारा ग्राम बडली तहसील जोधपुर के खसरा नम्बर 534 मे से 15.01 बीघा भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर को हस्तान्तरित की गयी थी। ग्राम बडली के खसरा नम्बर 534 मे सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर के द्वारा बाईपास कि.मी. 36 से 44 तक सड़क निर्माण के लिये खसरा नम्बर 534 की भूमि प्रभावित होने से भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर दिनाक 25.08.1999 को अवार्ड पारित कर सड़क निर्माण हेतु खसरा नम्बर 534 मे से 7.10 बीघा भूमि अवाप्त की गयी। अवार्ड किये जाने के उपरान्त सूचना के अभाव में खसरा नम्बर 534 मे से अवाप्तसुदा 7.10 बीघा का नामान्तकरण तहसील कार्यालय द्वारा स्वीकृत कर सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर के स्वामित्व में इन्द्राज नही किया जा सका। इस प्रकार खसरा नम्बर 534 मे से अवाप्तसुदा 7.10 बीघा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर के स्वामित्व में अंकन नहीं होने से इस खसरे मे से शेष रही 15.01 बीघा सम्पूर्ण भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर को हस्तांतरित हो गयी जिसका ना.क. संख्या 1219 दिनाक 27.07.2018 को निर्णित किया गया, जबकि सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर द्वारा अवाप्त 7.10 बीघा भूमि कम की जाकर जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर को 7.11 बीघा भूमि ही हस्तांतरण करने योग्य थी। अतः आदेश दिनांक 03.05.2018 में संशोधन कर संशोधित आदेश प्रदान करावे। इस संबध में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की अनापत्ति चाही गयी।

सचिव,जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर ने अपने पत्र क्रमांक एफ 46 / आवंटन(पश्चिम) / 2018 / 2938 दिनांक 31.10.2018 द्वारा इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1589 दिनांक 03.05.2018 द्वारा ग्राम बडली के खसरा नम्बर 534 रकबा 15.01 बीघा जोधपुर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित भूमि मे से 7.10 बीघा अवाप्तसुदा भूमि का सार्वजनिक निर्माण विभाग,जोधपुर के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने एवं आदेश में संशोधन किया जाता है तो उनके विभाग को कोई आपत्ति नही है अनापत्ति प्रदान की गयी।

अतः तहसीलदार जोधपुर के निवेदन एवं सचिव,जोधपुर विकास प्राधिकरण,जोधपुर की अनापत्ति के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक इस कार्यालय के आदेश क्रमांक राजस्व / जेडीए / 2018 / 1589 दिनांक 03.05.2018 पृष्ठांकन क्रमांक 1590–94 दिनांक 03.05.2018 द्वारा ग्राम बडली तहसील जोधपुर के खसरा नम्बर 534 रकबा 15.01 बीघा भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर को हस्तांतरित भूमि मे से सार्वजनिक निर्माण विभाग,जोधपुर द्वारा अवाप्त सुदा भूमि 7.10 बीघा कम की जाकर खसरा नम्बर 534 मे से रकबा 7.11 बीघा भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण,जोधपुर को हस्तांतरित की जाती है का संशोधन किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार जोधपुर राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 534 मे से सार्वजनिक निर्माण विभाग,जोधपुर द्वारा अवाप्तसुदा भूमि रकबा 7.10 बीघा का इन्द्राज सार्वजनिक निर्माण विभाग,जोधपुर के नाम एव शेष रकबा 7.11 बीघा का इन्द्राज जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम इन्द्राज कर अमलदरामद कर इस कार्यालय को अवगत करावें एवं तहसीलदार जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में हस्तांतरण प्रस्ताव भिजवाने से पूर्व प्रस्ताव का पूर्ण परिक्षण कर ही इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करावें।

29.11

Manager (Technical)
NHAI, PIU Jodhpur

(डॉ. रवि कुमार सुरपुर)
जिला कलक्टर,
जोधपुर
दिनांक 30/11/2018

क्रमांक प 12(3--)राज / हस्ता / जेडीए / 2018 / 4121–25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. सचिव,जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर।
2. उपखण्ड अधिकारी,जोधपुर
3. तहसीलदार,जोधपुर।
4. प्रभारी अधिकारी जिला राजस्व लेखा शाखा कार्यालय हाजा।
5. रक्षित पत्रावली

(महिपाल कुमार)
अपर जिला कलक्टर,जोधपुर